संख्या–1876 / सैंतीस–2–2018–33(5) / 84टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक (प्रशासन एवं विकास),**
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

2– **निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र)**
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक–05 जून, 2018

विषयः–पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों / वैक्सीन, उपकरणों हेतु संशोधित क्रय नीति का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के प्रस्ताव संख्या–45 / क0प्र0से0 / क्रय नीति / बैठक / 2018–19 दिनांक–03.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–343 / सैंतीस–2–2017–33(5) / 84 दिनांक–10.03.2017 में निम्न संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. औषधियों की निविदा पात्रता शर्त में प्रतिभागी निविदादाताओं द्वारा जिन औषधियों के लिए निविदा दी जा रही है उन औषधियों के लिए फर्म से डिस्ट्रीव्यूटर / होलसेलर एवं होलसेलर / डिस्ट्रीव्यूटर से रिटेलर को विक्रय किये गये उत्पाद (औषधियों) के अभिलेखीय साक्ष्य हेतु प्रत्येक उत्पाद से संबंधित आपूर्ति एवं बिल / वाउचर्स निविदा की तकनीकी बिड के साथ संलग्न करने की शर्त का समावेश किया जाय।
2. शासनादेशसंख्या–343 / सैंतीस–2–2017–33(5) / 84,दि0–10.03.2017 में निविदा पात्रता की शर्त विन्दु–4 में आंशिक संशोधन करते हुए आर0 एण्ड डी0 शर्त को समाप्त किया जाता है।
3. वैक्सीन के मामले में उनके द्वारा उत्पादित कुल टर्न ओवर के 50 प्रतिशत की आपूर्ति खुले बाजार में करने की शर्त वैक्सीनों पर लागू नही होगी।
4. शासनादेशसंख्या–343 / सैंतीस–2–2017–33(5) / 84, दिनांक–10.03.2017 में निविदा पात्रता की शर्त विन्दु–11 में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यहित में पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्राप्त करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य की मीडिएम, स्माल एण्ड माइक्रो इण्टरप्रेन्योर(एम.एस.एम.ई) / स्माल स्केल इण्डस्ट्री (एस.एस.आई.) इकाइयों के लिए 5.00 करोड़ के टर्न ओवर शर्त को समाप्त किया जाता है।

2(2)akm go

5. मिनरल मिक्चर लाइवस्टाक टाइप 2 विद आउट साल्ट आई.एस.आई. मार्क्ड के मामले में उनके द्वारा उत्पादित कुल टर्न ओवर के 50 प्रतिशत की आपूर्ति खुले बाजार में करने की शर्त को समाप्त किया जाता है। मिनरल मिक्चर लाइवस्टाक टाइप 2 विद आउट साल्ट आई.एस.आई. मार्क्ड के मामले में भी आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के साथ आपूर्तित बैच की नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एन.ए.बी.एल.) एप्रूब्ड अथवा ड्रग एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी एनालिटिकल ड्रग टेस्ट्रिंग लैबोरट्री की एनालिटिकल टेस्ट रिर्पोट अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय। जिसके कम में सम्बंधित फर्म को आपूर्ति के सापेक्ष पूर्ण भुगतान निर्गत किया जाय।

6. औषधियों के मामले में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक के साथ नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एन.ए.बी.एल.) एप्रूब्ड/गवर्नमेण्ट एप्रूब्ण्ड लैबोरेटरीज की एनालिटिकल टेस्ट रिर्पोट अनिवार्य रूप से संलग्न की जाय। जिसके कम में सम्बंधित फर्म को आपूर्ति के सापेक्ष पूर्ण भुगतान निर्गत किया जाय। निविदा के सापेक्ष दर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित आइटम के अनुमानित/काण्ट्रैक्ट मूल्य की 10 प्रतिशत परफार्मेन्स सेक्योरिटी की धनराशि का एफ.डी.आर जो निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र/ निदेशक, प्रशासन एवं विकास जहॉ जैसी भी स्थिति हो, के पक्ष में बन्धक हो, 100-100 रूपये के नान-जुडिसियल स्टैम्प पर काण्ट्रैक्ट फार्म के साथ प्राप्त की जाय। कयादेश से पूर्व 100 रूपये के नान जुडिसियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध भी भराया जाय। औषधियो की रेण्डम सैम्पलिंग के पश्चात् सन्तोषजनक रिर्पोट प्राप्त होने पर एवं निविदा/अनुबन्ध की शर्तो के सफल कियान्वयन पर ही परफारमेन्स सिक्योरिटी अवमुक्त की जाय।

7. सम्बंधित फर्मो की निविदा के सापेक्ष दर अनुमोदन हेतु प्रस्तावित आइटम के अनुमानित/काण्ट्रैक्ट मूल्य की 10 प्रतिशत परफार्मेन्स सेक्योरिटी की धनराशि का एफ.डी.आर जो निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र/ निदेशक, प्रशासन एवं विकास जहॉ जैसी भी स्थिति हो, के पक्ष में बन्धक रहती है,औषधियों/वैक्सीन की गुणवत्ता सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं निविदा/अनुबंध की शर्तो के सफल कियान्वयन हाने पर ही अवमुक्त की जाय। सैम्पुल अधोमानक पाये जाने की दशा में फर्म उक्त समस्त आपूर्तियों के सापेक्ष भुगतान की गयी सम्पूर्ण धनराशि वापस करेगी। ऐसी कम्पनी के विरूद्ध निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तो के अधीन कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पशुपालन विभाग द्वारा सुसंगत अधिनियमों के अधीन अपराधिक वाद दायर किया जाएगा एवं नियमानुसार धन के वसूली की कार्यवाही की जाएगी। यदि फर्म द्वारा धनराशि वापस नहीं की जाती है तो परफारमेन्स सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म से विभाग द्वारा किए गए भुगतान (जब्त परफारमेन्स सिक्योरिटी के अतिरिक्त शेष धनराशि) की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।

8. वैक्सीनों की आपूर्ति के साथ आपूर्तित बैच की इनहाउस एनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है और तभी भुगतान किया जायेगा।आपूर्तित वैक्सीनों की गुणवत्ता जॉच हेतु रैण्डम सैम्पलिंग आपूर्ति प्राप्त कर्ता अधिकारी द्वारा भारत सरकार के संस्थान से करायी जायेगी। रेण्डम सैम्पलिंग के पश्चात्

सन्तोषजनक रिर्पोट प्राप्त होने पर एवं निविदा/अनुबन्ध की शर्तो के सफल कियान्वयन पर ही परफारमेन्स सिक्योरिटी अवमुक्त की जाय।

9. दर अनुबन्धित फर्मो द्वारा अधोमानक औषधि आपूर्ति किये जाने, कयादेशों के सापेक्ष आपूर्तियां न किये जाने, निविदा/अनुबंध की शर्तो का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में फर्मो के विरूद्व की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में औषधि नियंत्रक के प्रतिनिधि तथा विभागीय विशेषज्ञों की निदेशक द्वारा नामिति समिति द्वारा तैयार मार्गदर्शी सिद्वांत/संस्तुतियों का समावेश निविदा शर्तो में अनिवार्य रूप से किया जाय।
10. निविदा के साथ वैट के स्थान पर जी0एस0टी0 क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने सबंधी संशोधन निविदा शर्त में किया जाय।
11. भारत सरकार के उपकमों (सीपीएसई) द्वारा भी निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा। उ0प्र0 प्रोक्योमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स) 2016 के चैप्टर 9 के प्रस्तर 9.7 के अनुपालन में राजकीय संस्थान एवं राज्य सरकार के पब्लिक उपकम, जो निर्माता हो, को अर्नेस्ट मनी जमा करने से छूट तथा प्रस्तर 9.16 के अनुपालन में राजकीय निगमो एवं भारत सरकारके उपकमों को परफारमेंस सिक्योरिटी से छुट प्रदान की जायेगी।
12. निविदाता की पात्रता की शर्तों में उन समस्त निविदादाताओं चाहें वे औषधि, वैक्सीन, उपकरण, मिनरल मिक्चर में से किसी के भी हों, के लिए आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का अनुपालन अवश्यमेव किया जाय।
13. भारत सरकार के उपकमों (सी0पी0एस0ई0) को भी एम0एस0एम0ई0 के समान ही पर्चेज प्रिफरेन्स प्रदान किया जायेगा।
14. (1) औषधियों, (2) वैक्सीन, (3) उपकरण, (4) मिनरल, मिक्चर की पृथक–पृथक निविदा आमंत्रित की जायेगी। इनके निविदा प्रपत्र, निविदादाता की पात्रता भी पृथक–पृथक निर्धारित की जायेगी।
15. सम्बन्धित निविदादाताओं के लिए वैध जी0एम0पी0 एवं जी0एल0पी0 प्रमाण–पत्र अनिवार्य रहेगा। परन्तु यदि निविदादाता एक मात्र उत्पादक (sole manufacturer) है तो उसके लिए मात्र जी0एल0पी0 अनिवार्य होगी।
16. निविदादाताओं को गत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 05 करोड़ का टर्न ओवर रहेगा। परन्तु एम0एस0एम0ई0/एस0एस0आई0 इकाईयों को टर्न ओवर से छूट प्रदान होगी।
17. विगत कुछ समय पूर्व क्षेत्र से खराब गुणवत्ता की औषधियों की आपूर्ति विषयक शिकायतें प्राप्त हुई और उनकी जांच महाराष्ट्र स्थित लैब से की जा रही है। परीक्षण आख्या प्रतीक्षित है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से औषधि के निविदादाताओं हेतु उत्पादक डिस्ट्रीब्यूटर/होलसेलर एवं होलसेलर/डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को विकय किये गये उत्पादन (औषधियों) के विषय में निम्न सूचना की अनिवार्यता होगीः–

(क) विगत 03 वर्षों में किसी भी एक कोटेड प्रोडक्ट (औषधि), जिसके लिए निविदा भरी जा रही है, भारत के न्यूनतम एक तिहाई राज्यों (अर्थात न्यूनतम 08 राज्यों) में आपूर्ति करायी गयी हो, इस विषयक निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें:–

2(2)akm go

किसी भी एक उत्पाद हेतु निम्न प्रारूप पर सूचना दी जायगी:–

क्र0 सं0	राज्य का नाम	होलसेलर का नाम	वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18		
			इनवाइस संख्या	इनवास का दिनांक	मूल्य	इनवाइस संख्या	इनवास का दिनांक	मूल्य	इनवाइस संख्या	इनवास का दिनांक	मूल्य
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											

उक्त सूचना के साथ इनवाइस की प्रतियॉ भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

(ख) उत्पादनकर्ता से होलसेलर/डिस्ट्रीब्यूटर हेतु इनवाइस कॉपी एक ही हों।

2– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–343/सैंतीस–2–2017–33(5)/84 दिनांक–10.03.2017 में शेष उपबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1876(1)/सैंतीस–2–2018– तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– **महालेखाकार/लेखा एवं हकदारी (प्रथम)/लेखा अनुभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
2– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
3– अपर निदेशक ग्रेड–1, बी0पी0 संस्थान, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ।
4– अपर निदेशक ग्रेड–1, (गोधन विकास) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6– निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7– प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
8– प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा।
9– मुख्य ड्रग कन्ट्रोलर, उ0प्र0, लखनऊ।
10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
12– उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
13– समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14– वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
15– **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।**
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।